



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 23 राँची, गुरुवार,

7 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-51/2019 का० 5948/ --श्री अनुप किशोर शरण, (कोटि क्रमांक- 545/03, गृह जिला-पटना), सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध इनके कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला खरसावाँ के पद पर कार्यावधि से संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1555, दिनांक 10.06.2019 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद सं०-1276/2018 प्रशांत कुमार दास एवं अन्य बनाम सुखदेव सिंह एवं अवमाननावाद सं०-1221/2018 विष्णुदेव प्रसाद बनाम सुखदेव सिंह में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2019 को Video Conferencing कर संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बोर्ड/निगम में समायोजित कर्मियों को अनुमान्य बकाया आदि का भुगतान अविलंब कर देंगे तथा दिनांक 24.04.2019 के 05:00 बजे अपराहन के पूर्व अनुपालन e-mail से भेजें।

2. श्री अनुप किशोर शरण, कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा उनको दिए गए निदेश के आलोक में ससमय भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी।

3. श्री अनुप किशोर शरण द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8972, दिनांक 08.11.2019 द्वारा श्री शरण से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री शरण के पत्र, दिनांक 25.11.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री शरण द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. स्व० चन्द्रमौली प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक की पत्नी श्रीमती इन्दु देवी, ग्राम+पो० पेटो, थाना-सरमेरा, जिला नालन्दा (बिहार) को ससमय नियमानुसार सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा सभी बैठकों/ V.C. में दिये गये निर्देश एवं विचारोपरान्त ससमय भुगतान संबंधी कार्रवाई की गई है।

2. संयुक्त सचिव/प्रधान सचिव महोदय के द्वारा आहूत V.C. में उपस्थित होकर विचारोपरांत Beneficiary Smt. Indu Devi, W/O- Late Chandramoli Prasad का सभी बकाया राशि का भुगतान कर दी गई है। चूँकि इन्दु देवी, पत्नी स्व० चन्द्रमौली प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, नालन्दा जिला के थाना-सरमेरा के निवासी हैं। उन्हें कोषागार सरायकेला में उपस्थित कराने हेतु श्री शरण द्वारा सभी प्रयास एवं प्रावधान अन्तर्गत पूरी कार्रवाई की गई थी। जब तक वे उपस्थित नहीं होती तब तक राशि का भुगतान करना संभव नहीं था। इन्दु देवी के अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का भुगतान करना वित्तीय नियम का उल्लंघन होता।

3. स्व० चन्द्रमौली प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक की पत्नी श्रीमती इन्दु देवी निवासी नालन्दा (बिहार) को कोषागार, सरायकेला में उपस्थित कराने हेतु श्री शरण द्वारा सभी तरह का प्रयास किया गया। श्रीमती इन्दु देवी, जिला नालन्दा, थाना-सरमेरा निवासी को इनके कार्यालय जापांक-275/14.05.2019 के द्वारा जिला कोषागार, सरायकेला में निर्गत पत्र, जो इन्दु देवी, पो०-पेटो, थाना-सरमेरा, जिला-नालन्दा को प्रेषित है, ताकि वे जरूरी कागजातों के साथ स्वयं उपस्थित हों।

4. जिला कोषागार, सरायकेला से निर्गत पत्र सं०-277/14.05.2019, जो थाना प्रभारी, सरमेरा को भेजा गया है, ताकि नोटिस का तामिला ससमय कराया जा सके एवं उनकी हाजरी कराया जा सके, ताकि ससमय भुगतान किया जा सके। इस बीच, Calculation Chart में भी श्री शरण द्वारा तैयार किया जा चुका था। वित्त विभाग में जाकर श्री शरण स्वयं बैठकर विमर्श कर Calculation Chart तैयार किये।

5. कार्यालय का पत्र सं०-276/14.05.2019 जिला कोषागार शाखा से निर्गत पत्र जो बी०डी०ओ०, सरमेरा, जिला-नालन्दा को प्रेषित है। पत्र भेजने का उद्देश्य था कि किसी भी माध्यम से इन्दु देवी, पत्नी-स्व० चन्द्रमौली प्रसाद को नोटिस प्राप्त हो जाये और वे सरायकेला कोषागार में उपस्थित हों।

6. श्रीमती इन्दु देवी, पत्नी-स्व० चन्द्रमौली प्रसाद को उनके उपादान/अन्य राशि को ससमय भुगतान किया जा सके, इसके लिए समाचार पत्र प्रभात खबर में आम सूचना भी प्रकाशित कराया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-406, दिनांक 21.01.2020 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1406/वि0, दिनांक 06.08.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री शरण के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री शरण के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अनुप किशोर शरण, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला खरसावाँ, सम्प्रति- सेवानिवृत्त को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
